

मध्य प्रदेश में 3,500 'पकि' बूथ स्थापति होंगे

चर्चा में क्यों?

राज्य में लगभग 3,500 'पकि' बूथ स्थापति किये जाने की उम्मीद है, जिनका प्रबंधन विशेष रूप से महिला सरकारी कर्मियों द्वारा किया जाएगा।

मुख्य बंदि:

- मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की 29 सीटों के लिये चार चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को मतदान होगा तथा मतों की गनिती 4 जून को होगी।
- मुख्य नरिवाचन अधिकारी (CEO) अनुपम राजन के अनुसार, राज्य में 2.90 करोड़ पुरुष, 2.74 करोड़ महिला और 1,228 तृतीय लुगि मतदाताओं सहति 5.64 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं।
 - इसके अलावा, 118 वदिशी मतदाता और 74,835 सेवा मतदाता (सीमाओं और अनूय स्थानों पर तैनात सेना के जवान) हैं, जसिसे मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5.65 करोड़ से अधिक हो गई है।
 - वर्ष 2023 के वधिानसभा चुनाव में मतदान प्रतशित 77.82% था।

मुख्य नरिवाचन अधिकारी (CEO)

- लोक प्रतनिधित्व अधनियम 1950 की धारा 13A और लोक प्रतनिधित्व अधनियम 1951 की धारा 20 के अनुसार, कसिी राज्य/केंद्रशासति प्रदेश का मुख्य नरिवाचन अधिकारी नरिवाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, नरिदेशन एवं नरियंत्रण के अधीन नरिवाचन कार्य की नगिरानी के लिये अधिकृत है।
- भारत का नरिवाचन आयोग उस राज्य सरकार/केंद्रशासति प्रदेश प्रशासन के परामर्श से सरकार के एक अधिकारी को मुख्य नरिवाचन अधिकारी के रूप में नामति करता है।